सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025/827 दर्ज तिथिः— 29.12.2025

1. चुन्नीलाल पुत्र सवाराम
2. देवाराम पुत्र सवाराम
3. भीखाराम पुत्र सवाराम
4. लालाराम पुत्र सवाराम
5. हस्तुदेवी पत्नी सवाराम

   जाति भांभी (मेघवाल) निवासी पादरड़ी कला तहसील गुड़ामालानी

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. दिनेश चौधरी पुत्र धीराराम
2. कानूदेवी पत्नी धीराराम

   जाति जाट निवासी बातो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

3. गोरखाराम पुत्र करनाराम
4. भींयाराम पुत्र करनाराम
5. मूलाराम पुत्र सोनाराम
6. मानाराम पुत्र करनाराम
7. वीरमाराम पुत्र सोनाराम
8. शेराराम पुत्र नाािाराम

   जाति जाट निवासी मीरपुरा खारा तहसील सांचौर जिला जालोर

9. आम्बाराम पुत्र फुआराम
10. समदा पत्नी फुआराम
11. हरदाराम पुत्र फुआराम
12. मोहनलाल पुत्र पन्नालाल
13. अमराराम पुत्र मांगाराम
14. कुंभाराम पुत्र मांगाराम
15. करनाराम पुत्र लिछमणाराम
16. खेमाराम पुत्र लिछमणाराम
17. तुलछी पत्नी लिछमणाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:52:12 IST
Reason: SelfAttested

18. देरामाराम पुत्र सूराराम
19. पांचाराम पुत्र लिछमणाराम
20. मिश्राराम पुत्र हरजीराम
21. मोहन पुत्र खुशालाराम
22. वेलाराम पुत्र लिछमणाराम
23. आईदानराम पु वीरमाराम
24. गोरखाराम पुत्र वीरमाराम
25. रामूदेवी पत्नी मूलाराम
26. दिनेश कुमार पुत्र मूलाराम
27. नरपत पुत्र मूलाराम
    विप्रार्थी सं. 26 व 27 नाबालिक की वली विप्रार्थी संख्या 25)
28. लुम्बाराम पुत्र अनाराम
29. लाखाराम पुत्र वीरमाराम
    जाति मेघवाल निवासी पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी
30. जवाराराम पुत्र मानाराम
31. दरगाराम पुत्र मानाराम
32. पीराराम पुत्र मानाराम
    जाति ब्राहमण निवासी पादरड़ी कला तहसील गुड़ामालानी
33. आसूराम पुत्र सालूराम
34. कसुम्बी पत्नी तगाराम
35. कालूराम पुत्र मंजीराम
36. गोमाराम पुत्र तगाराम
37. जैसाराम पुत्र सालूराम
38. दलाराम पुत्र मंजीराम
39. नरसींगाराम पुत्र मंजीराम
40. भगवानाराम पुत्र तगाराम
41. वशनाराम पुत्र सालुराम
    जाति मेगवाल निवासी पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी

...........असल अप्रार्थीगण

42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:52:12 IST
Reason: SelfAttested

चुन्नीलाल बनाम दिनेश चौधरी
2025/827
निर्णय दिनांकः—05.03.2026

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 05.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 313/70/0.8377 है0 मौजा पादरड़ी कला, खसरा सख्या 589/341/0.6307 है0 मौजा जाटो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 07.11.2025 की पालना में दिनांक 05.12.2025 को पटवारी हल्का सिंधासवा हरनियान द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 313/70/0.8377 है0 मौजा पादरड़ी कला, खसरा सख्या 589/341/0.6307 है0 मौजा जाटो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी की पत्थरगढ़ी दिनांक 05.12.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 05.12.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:52:12 IST
Reason: SelfAttested

survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–75 वाकै ग्राम पादरड़ी कला एवं जाटो की ढाणी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम पादरड़ी कला एवं जाटो की ढाणी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 05.12.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:52:12 IST
Reason: SelfAttested

के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 313/70/0.8377 है0 मौजा पादरड़ी कला, खसरा सख्या 589/341/0.6307 है0 मौजा जाटो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/ हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:52:12 IST
Reason: SelfAttested